न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 34/2016 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00253

उनवान

1. भरोसी पुत्र ग्यरसा जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
2. रामरती पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
3. रामकिशन पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
4. रामबाबू पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
5. अतर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पूरन पुत्र मंगल जाति कोली निवासी जाटवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
2. पूरनमल पुत्र भैंरो जाति कोली निवासी सुखदेवपुरा तहसील हिण्डौन ।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील संख्या 43/2016 (225 आर0टी0ए0)

आरसीएमएस संख्या :– 2016/00241

उनवान

1. पूरन पुत्र मंगल जाति कोली निवासी जाटवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
2. पूरनमल पुत्र भैंरो जाति कोली निवासी सुखदेवपुरा तहसील हिण्डौन ।

बनाम

1. भरोसी पुत्र ग्यरसा जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
2. रामरती पत्नि रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
3. रामकिशन पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
4. रामबाबू पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।
   अतर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी सलैमपुर कलॉ तहसील भुसावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 01.07.2016 उनवानी भरोसी बनाम पूरन वगै0 मु0न0 101/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह झारोटिया उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.07.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो में तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण भरोसी वगै0 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण पूरन वगै0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा, 9 रकवा 05 बीघा 18 विस्वा, 10 रकवा 16 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम शहजादपुरा तहसील भुसावर के प्रार्थीगण भरोसी वगै0 खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं एवं आराजी खसरा नम्बर 12 रकवा 08 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम शहजादपुरा तहसील भुसावर के अप्रार्थीगण पूरन वगै0 खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। प्रार्थीगण भरोसी वगै0 अपने उक्त रकवा के लिये पूर्वजो के समय से ही, अप्रार्थीगण पूरन वगै0 के खेत खसरा नम्बर 12 में होकर, अपने रकवा को काश्त करने व जोतने बोने के लिये आता जाता रहा है, उक्त रकवा में प्रार्थीगण का रिहायशी मकान भी बना हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण पूरन वगै0 के रकवा में होकर ही एकमात्र आने जाने का रास्ता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण पूरन वगै0 ने दिनांक 27.08.2015 को खुले आम धमकी दी कि वह प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा नम्बर 09,10,11 को काश्त करने हेतु नहीं निकलने देंगें। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो, प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी एवं प्रार्थीगण अपने खेतो में काश्त नहीं कर सकेंगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 09,10,11 की सिंचित काश्त करने एवं कृषि ससाधनो को ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 12 में 20 फुट चौडा रास्ता, प्रार्थीगण को दिलावाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 12 में से उत्तरी मेड के सहारे से 08 विस्वा रास्ता एवं इसके बदले अप्रार्थी को प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 11 में से 02 विस्वा तथा खसरा नम्बर 10 में से 06 विस्वा भूमि रास्ते हेतु दिये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश दिनांक 01.07.2016 से व्यथित होकर, प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ने परस्पर एक दूसरे के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 34/2016 उनवान भरोसी बनाम पूरन तथा 43/2016 उनवान पूरन बनाम भरोसी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता पक्षकार भरोसी वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पडौसी काश्तकार की भूमि से रास्ता लेने पर नियमानुसार न्यायालय द्वारा मुआवजा तय किया जाकर अदा किये जाने तथा रास्तो को दी गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ना तो मुआवजा तय किया और ना ही रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज के आदेश ही दिये हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि धारा 251ए के तहत रास्ते के बदले में रैस्पो0 को उनकी भूमि मे से रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 12 में से 08 विस्वा रास्ता दिये जाने वाले आदेश को बहाल करते हुये खसरा नम्बर 11 व 10 में से रास्ते के लिए दी गई भूमि बाबत् किये गये आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता पूरन वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में होकर मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है इसके बाबजूद भी बिना मुआवजा तय किये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रास्ते के बदले में रास्ता स्वीकृत किया जावें ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत पारित ना किये जाने के कारण यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी भरोसी वगै0 को अप्रार्थी पूरन वगै0 की भूमि में से रास्ता दिया गया एवं बदले में अप्रार्थी पूरन वगै0 को भी प्रार्थी भरोसी वगै0 की भूमि में से रास्ता दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए **"अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना"** अन्तर्गत किसी भू–धारक को मार्गाधिकार, की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है; और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो, की स्थिति में ही प्राप्त हो सकेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं बाबत् कोई परीक्षण नहीं किया है, एवं ना ही रास्ते हेतु आत्यंतिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई विवेचना ही अपीलाधीन आदेश में अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रकार बिना विवेक प्रयोग किये, पारित अपीलाधीन आदेश का हम समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलाधीन आदेश में दिये गये रास्ते हेतु कोई मुआवजा तय किया है एवं ना ही रास्ते बाबत् कोई तरमीम ही स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी भरोसी वगै0 की भूमि से बिना किसी प्रार्थना के अप्रार्थी पूरन वगै0 को रास्ता दे दिया गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की संज्ञा में नहीं आता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 ए में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.08.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official